न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 38/2017 (बांसवाड़ा डिकी)

1. प्रभु आत्मज फतिया जी, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. कमिया आत्मज फतिया, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. लक्ष्मण आत्मज भेमजी, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. गणिया आत्मज कमिया, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. फुलिया आत्मज भेमजी, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. देवा आत्मज भेमजी, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. शान्ति आत्मज देवा, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. धुलिया आत्मज फुलिया, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. रमिया आत्मज फुलिया, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
10. राजिया आत्मज फुलिया, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
11. मुकेश आत्मज प्रभु, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
12. संतोष आत्मज लक्ष्मण, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
13. श्रीमती सविता पत्नी प्रभु, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा।
14. श्रीमती देवली पत्नी लक्ष्मण, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा।
15. श्रीमती रंगीली पत्नी फुलिया, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा।
16. श्रीमती नीमा पत्नी धुलिया, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा।
17. श्रीमती सुकी पत्नी रमा, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा।
18. श्रीमती केसर पत्नी गणिया, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा।

19. श्रीमती गनी पत्नी देवा, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा।

.... अपीलान्टगण

बनाम

रकमा आत्मज नरूवा, जाति निनामा भील, निवासी ग्राम मंगेलापाडा, पटवार हल्का पडौली, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, घाटोल दिनांक 21.06.2016 प्रकरण सं0 13/2016

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1— श्री भगवतपुरी अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री निखिल मालोत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय **दिनांक 21—01—2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी नंबर 935 रकबा 0.21 एकड किस्म नहरी 1 ग्राम मंगेलापाडा में स्थित है, जो नामान्तरकरण 82 से बंटवाड़े अनुसार वादी के हिस्से में आयी जो वादी की माता द्वारा कीमत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी थी। प्रतिवादीगण का उक्त भूमियों में किसी प्रकार का हम अधिकार नहीं होते हुए भी वादी को बेदखल करने पर उतारू हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 21—06—2016 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 15—09—2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री निखित मालोत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी तथा मौके पर झगडा फसाद होने पर उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया तो यह पाया कि राजस्व कैम्प में निर्णय अपीलान्टगण की उपस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21–06–2016 को पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध यह अपील दिनांक 15–09–2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील की मयाद 60 दिवस अर्थात दिनांक 20–08–2016 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, किन्तु यह अपील दिनांक 15–09–2017 को अर्थात करीब 1 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी, जिसके लिये उन्होंने कारण मात्र मौके पर झगडा फसाद होना बताया है, किन्तु झगडा फसाद किस दिनांक को हुआ एवं उन्हें निर्णय व डिक्री की जानकारी किस दिनांक को हई, यह उनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, जबकि देरी से अपील प्रस्तुत करने के मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–06–2016 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21–01–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम..............**उदयपुर**............ व इजलास ....**एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰** ....

प्रभु आत्मज फतिया, निनामा भील **बनाम** **रकमा आत्मज नरूवा, निनामा भील**
नि. ग्राम मंगेलापाडा, प.ह. पडौली **नि. ग्राम मंगेलापाडा, प.ह. पडौली**
तह. घाटोल, जि.बांसवाड़ा व अन्य **तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा**

अपील नं॰...........**38/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........ ..... **घाटोल** .... मुकाम...............मुवर्खे..........**21**..............माह.............**06**............**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**21**....माह........**01**.......सन् **2020** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी......**श्री भगवतपुरी**..........मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री निखिल मातोल**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–06–2016 यथावत रखी जाती है। .**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**21**.....माह.......**01**...........**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.27 13:49:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: